...्यालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)

मि.न.62/2020

दिनांक5.03.2020

सरकार बनाम रणधीर

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गोरधनपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम के महरमपुर नवाब तहसील कोटपूतली के ख0 न0 121/494/0.03है0 किस्म गै0मु0 रास्ता में से 0.03 है0 भूमि पर रणधीर पुत्र किशनचन्द जातिं जाट निवासी झज्जर हरियाण हाल महरमपुर नवाब तहसील कोटपूतली ने होटल व पार्किग बनाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । गैर सायल के हाल पत्ते पर तामिल करवाई गई तो तामिल कुन्दिा ने अवगत करवाया की होटल चलाने वाले ने बताया कि होटल किराये पर चलाता है स्वंय मालिक यहां नहीं रहता अतः गैर सायल के हरियाणा निवास पर जरिये डाक तामिल हेतु नोटिस भिजवाये गये। सूचना बाद गैर सायल उपस्थित नहीं आये औ कोई जबाब, दस्तावेज भी पेश नही किये गये जिनंके आधार पर गैर सायल को अनुतोष दिया जा सके । अतः आतिक्रमि के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः गैरसायल रणधीर पुत्र किशनचन्द जाति जाट निवासी झज्जर हरियाणा हाल महरमपुर नवाब तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम के महरमपुर नवाब तहसील कोटपूतली के खसरा नंबर 121/494/0.03है0किस्म गै0मु0 रास्ता में से 0.03 है0 भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायल द्वारा बनाई गई होटल व पार्किंग को हटाया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 0.01रू. का पचास गुणा 5रू अर्थ दण्ड के रूप में

Scanned by CamScanner

जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते ,बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 5.3.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

Scanned by CamScanner